

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प. 4 (13) वित्त/बीमा/2025

जयपुर, दिनांक 19/11/25

आज्ञा

राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि सेवा नियम 1959 के नियम 24(ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर उक्त सेवा में स्थायी रूप से नियुक्त निम्नांकित तीन उप निदेशकों का चयन संयुक्त निदेशक की वर्ष 2025-26 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी पदोन्नति संयुक्त निदेशक के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल-19 में कार्यभार संभालने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. स.	अधिकारी का नाम	वर्ग	चयन वर्ष	पद रिक्ति दिनांक	विशेष विवरण
1.	डॉ. प्रेम सिंह	—	2025-26	01.04.2025	—
2.	श्री इन्द्र कुमार भानू	अजा	2025-26	01.04.2025	अनारक्षित पद के विरुद्ध
3.	श्री ओमाराम	दिव्यांग (ग्रुप-ए-दृष्टि बाधित और अल्पदृष्टि)	2025-26	01.04.2025	—

पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se Seniority) यथावत रहेगी।
पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

उक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

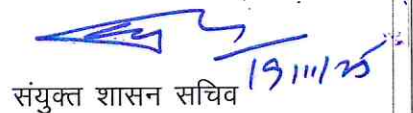
राज्यपाल की आज्ञा से



(धनलाल शेरवत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीया उपमुख्यमंत्री महोदया, वित्त।
4. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
5. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. तकनीकी निदेशक वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
10. संबंधित अधिकारी।
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव 19/11/25